प्रेस नोट **08/07/2024**

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास व ₹3,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एएसजे प्रथम जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 08-07-2024 को मु0अ0सं0 1137/2014 धारा 498A, 304B भादवि व डीपी एक्ट थाना दक्षिणटोला में दोषसिद्ध अभियुक्त बिजेंद्र कश्यप पुत्र रामदयाल निवासी सलेमपुर मौर्या बस्ती थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 07 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं ₹3,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री अजय कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी अनिल तिवारी थाना दक्षिणटोला का सराहनीय योगदान रहा।

यातायात जागरुकता अभियान के क्रम में 18 वर्ष के कम उम्र के छात्र/छात्राओं द्वारा दो पहिया एवं चारपहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने एवं नाबालिग बच्चों को वाहन देने वाले स्वामी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी यातायात के नेतृत्व में आज दिनांक 08.07.2024 को यातायात प्रभारी के नेतृत्व में जागरुकता अभियान चलाया गया जिसमें फातिमा स्कूल ताजोपुर के नाबालिग छात्र/छात्राओं को वाहन न चलाने के बारे जागरुक किया गया तथा यातायात/सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गयी।

सीटेट परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 07.07.2024 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मुक्तिनाथ स्मारक महाविद्यालय परामुबारकपुर जनपद कोपागंज में नोडल अधिकारी द्वारा चेकिंग के दौरान दुसरे के स्थान पर पेपर देने वाला अभियुक्त अजय साहा पुत्र प्रमोद साहा निवासी पलसा डांगा पोस्ट जोंका थाना राजमहल जनपद साहेबगंज झारखण्ड के कब्जे से प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, ओएमआरशीट(छाया प्रति) बरामद कर गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 178/24 धारा 318, 319, 336(3) 340(2) बीएनएस व धारा 2(1)झ(2)/13(2) परीक्षा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायलय किया गया ।